

कार्यालय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, उदयपुर संभाग उदयपुर

कार्यालय आदेश

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर के पत्रांक : शिविरा-मा/संस्था/एफ-1/12102/सी.भ./व.अ.-अंग्रेजी/2018/ दिनांक 30.10.2018 के द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर से द्वितीय वेतन श्रृंखला अध्यापक भर्ती परीक्षा-2016 से चयनित आशार्थियों (अंग्रेजी) को नियुक्ति हेतु पदस्थापन के लिये सुपुर्द करने के फलस्वरूप संलग्न सूची में अंकित अभ्यर्थियों को, **वरिष्ठ अध्यापक- अंग्रेजी** के पद पर राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम 2017 के वेतन लेवल-11 में दो वर्ष की अवधि हेतु प्रशिक्षणार्थी (प्रोबेशनर ट्रेनी) के रूप में नियत मानदेय 26500/- (छब्बीस हजार पांच सौ रुपये) पर नियुक्ति दी जाकर इनके नाम के सम्मुख अंकित विद्यालय में रिक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है। इन्हें परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में कार्यग्रहण करने की दिनांक से दो वर्ष की अवधि तक राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक: एफ. 12(9)एफडी(रूल्स)/2017 दिनांक 30.10.2017 के प्रावधानानुसार नियत मानदेय 26500/- (छब्बीस हजार पांच सौ रुपये) अथवा पूर्व से सेवारत होने की स्थिति में विद्यमान वेतन नियत मानदेय के रूप में देय होगा। परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण(प्रोबेशनर ट्रेनी) की अवधि में नियत मानदेय (FIX REMUNERATION) के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के भत्ते यथा महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, भाहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, महंगाई वेतन, विशेष वेतन, बोनस आदि देय नहीं होगा। राज्य सरकार के आदेश क्रमांक : एफ.12(9)एफडी(रूल्स)/2017 दिनांक 30.10.2017 के अनुसार परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण(प्रोबेशनर ट्रेनी) के नियत मानदेय (FIX REMUNERATION) से नवीन पेंशन अंशदान की कटौति नियमानुसार होगी।

संबंधित संस्था प्रधान इनको कार्यग्रहण करवाने से पूर्व निम्नांकित कार्यवाही आवश्यक रूप से सम्पादित करेंगे:


1. नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व नियमानुसार संबंधित अभ्यर्थी का संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रदत्त चरित्र संबंधी सदाचरण रिपोर्ट एवं सक्षम विकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वस्थता प्रमाणपत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा, इनके अभाव में किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति पर कार्यग्रहण नहीं करवाया जावेगा। पूर्व से राजकीय सेवा में सेवारत कर्मियों हेतु यह आवश्यक नहीं होगा।
2. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक : एफ.7(1)डीओपी/ए-1/95 दिनांक 08.04.2003 के अनुसार संबंधित अभ्यर्थी से दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके पश्चात उत्पन्न सन्तानों के फलस्वरूप कुल सन्तानों की संख्या दो से अधिक नहीं होने संबंधी स्वयं सत्यापित प्रमाणपत्र आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावे। साथ ही पदस्थापन आदेश में अभ्यर्थी के नाम के सामने आवेदनपत्र में लगाये गये फोटो भी दिया गया है जिसका अभ्यर्थी के कार्यग्रहण करने के समय फोटो से मिलान अनिवार्य रूप से किया जावे।
3. विवाहित अभ्यर्थियों के मामले में विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र अथवा यदि विवाह, पंजीयन अनिवार्य करने संबंधी प्रावधान लागू होने से पूर्व हुआ है तो तत्संबंधी आशय का स्वयं सत्यापित प्रमाणपत्र आवश्यक रूप से प्राप्त किया जावे।
4. अभ्यर्थी द्वारा दहेज नहीं लिये जाने का स्व-घोषणापत्र निर्धारित प्रारूप में प्राप्त किया जावे।
5. राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यताओं की वैधता संबंधी जांच की विभाग स्तर पर कार्यवाही की जानी शेष है, अतः जिन अभ्यर्थियों द्वारा राज्य से बाहर की संस्थाओं से शैक्षिक / प्रशैक्षिक योग्यता अर्जित की गई है, उन्हें यह नियुक्ति राज्य से बाहर की संस्थाओं से प्राप्त की गई शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता वैध व मान्य पाये जाने के अध्याधीन प्रदान की जा रही है। अतः नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थी से 10/- के नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पर इस आशय का शपथपत्र पूर्व में प्राप्त करेंगे कि यदि इनके द्वारा राज्य से बाहर, त्रुटीपूर्ण, जालि अथवा कुट रचित दस्तावेज पाये जाने पर उनकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी एवं इनके विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु विभाग स्वतंत्र रहेगा। आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों का मिलान मूल दस्तावेजों से कार्यग्रहण कराने से पूर्व संबंधित संस्था प्रधान अपने स्तर पर आवश्यक रूप से करेंगे। मिलान में यदि कोई भिन्नता पाई जावे तो उसके संबंध में पूर्ण टिप्पणी सहित प्रकरण तुरन्त इस कार्यालय को भिजवायेंगे।
6. अन्य पिछडा वर्ग का सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त नवीनतम मान्य प्रमाणपत्र पिता की आय के आधार पर जारी किया हुआ होना चाहिये। महिला आवेदकों के मामले में यदि पति के नाम एवं पति की आय के

7-18

आधार पर जारी किया हुआ हो तो ही मान्य होगा। संबंधित संस्था प्रधान कार्यग्रहण कराने से पूर्व इसकी पालना सुनिश्चित करें। -

7. चयनित अभ्यर्थियों के कार्यग्रहण कराने से पूर्व उनकी पात्रता, आयु, एवं आरक्षण संबंधी समस्त दस्तावेजों की आवश्यक रूप से जांच करें तथा अभ्यर्थियों से यह शपथपत्र लेवें कि उसके द्वारा प्रस्तुत सूचनाएँ एवं दस्तावेज सही हैं, इनके त्रुटिपूर्ण, जाली अथवा कूटरचित पाये जानें पर उनकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी एवं उनके विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही कराने हेतु विभाग स्वतंत्र रहेगा।
8. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थी से कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक : प. 7(3)कार्मिक/क-2/06/पार्ट दिनांक 04.10.2013 के अनुसार धूम्रपान एवं गुटखा सेवन नहीं कराने संबंधी वचनबद्धता (अण्डरटेकिंग) निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त किया जावे।
9. यह नियुक्ति आदेश, प्रसारित विज्ञप्ति वरिष्ठ अध्यापक (विभिन्न विषय) प्रतियोगी परीक्षा-2016 के प्रकरण में माननीय न्यायालय में दायर विभिन्न याचिकाओं के निर्णयों के अध्यक्षीन रहेंगी।
10. इन अभ्यर्थियों को अपने पदस्थापित स्थान पर दिनांक 10.11.2018 तक अनिवार्य रूप से कार्यग्रहण करना होगा, अन्यथा यह नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माने जायेंगे।
11. टीएसपी परिक्षेत्र के अभ्यर्थियों से विशेष मुल निवास प्रमाणपत्र राज्य सरकार द्वारा नवीनतम निर्धारित प्रपत्र में अधिकृत सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया होना चाहिये इसके अभाव में कार्यग्रहण नहीं करवाया जाये
12. चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति आदेश प्रसारित विज्ञप्ति वरिष्ठ अध्यापक (विभिन्न विषय)प्रतियोगी परीक्षा 2016 के प्रकरण में माननीय न्यायालय में दायर विभिन्न याचिकाओं के निर्णयों के अध्यक्षीन रहेगे।
13. नोन टीएसपी से टीएसपी क्षेत्र के विद्यालय में पदस्थापन होने की स्थिति में कार्मिक को कार्यग्रहण नहीं करवाते हुए संस्था प्रधान इस कार्यालय हेतु भिजावे।
14. संबंधित संस्था प्रधान कार्मिक की आईडी एवं फोटो का मिलान करने के पश्चात् ही कार्यग्रहण करावे।

विधानसभा आम चुनाव आदर्श आचार संहिता में शिथिलन की स्वीकृति निर्वाचन विभाग राजस्थान के पत्रांक एफ-3(1)(9) I/Elect/2018/6995 दिनांक 08.10.2018 के गठित स्कीनिंग समिति से अनुमति प्रदान किये जाने एवं सामान्य प्रशासन विभाग की आईडी संख्या 3697/पीएस/जीएडी/18 दिनांक 23.10.2018 द्वारा सहमति प्रदान कर दी गई है।



(भरत मेहता)


संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा
उदयपुर संभाग उदयपुर

क्रमांक : सनि/स्कूल शिक्षा/उदय/संस्था-ब/फा-1051-53/2018/129

दिनांक : 31.10.2018

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:

1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
2. शासन उपसचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर
3. शासन उपसचिव, कार्मिक (क-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
5. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर
6. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर
7. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी
8. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा
9. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
10. वरिष्ठता अनुभाग - कार्यालय हाजा
11. संबंधित संस्था प्रधान.....
12. संबंधित अभ्यर्थी.....(रजिस्टर्ड डाक से)
13. निजी/गार्ड पत्रावली



संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा
उदयपुर संभाग उदयपुर


कार्यालय संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा) उदयपुर सम्भाग, उदयपुर

क्रमांक-संयु.नि./स्कूल शिक्षा/उदय/संस्थापन/फा-1051-53/2018/129

दिनांक 31.10.2018

विषय- अंग्रेजी

क्र. स.	मेरिट न0	आशार्थी का नाम	पिता/पति का नाम	पता	जन्म तिथि	वर्ग	चयन वर्ग	पदस्थापन स्थान (राउमावि/मावि/राउप्रावि)	जिला
टीएसपी									
1	385	BINESH B NAYAR	BALCHANDRA NAYAR	BINESHNAIR, SHIVBHAVAN, BEHINDPUSHPAHOSPITAL, RATITALAI, 327001, BANSWARA	16/02/1984	GE, DC	TGEM	बोर खाबर (बांसवाडा)	बांसवाडा
2	932	MEENAKSHI DAAMOR	SURESH DAAMOR	659C/ORATANLALMEENA EKLAVYANAGARDUDIYAGANESH JIMULLATALALIUDAIPUR, , GIRWA, UDAIPUR, UDAIPUR	08/07/1987	TSP-ST, WE, WD, RG	TGEF WD	सलुम्बर (सलुम्बर)	उदयपुर
नान-टीएसपी									
3	240	ANJU RANI	OMPAL SINGH	VPO-PILODTEH-SURAJGARH, , SURAJGARH, PILOD, JHUNJHUNU	06/01/1986	GE, WE	GENF	नपावली (भदेसर)	चित्तौड़
4	530	MANJU KUNHARE	NANAG RAM	19MARUTICOLONYSHEOPURRO AD, PRATAP NAGAR, SANGANER, JAIPUR	22/12/1995	SC, WE	SCF	गिलुण्ड (रेलमगरा)	राजसमंद
5	695	MAMTA MITTAL	KANHAIYA LAL GUPTA	5/58 RATITALAIBANSWARA, BANSWARA	10/04/1976	GE, WE, WD, ME	GENF WD	रेवलियाखुर्द (भदेसर)	चित्तौड़
6	699	DALEEP SINGH RAJVI	PARAVAT SINGH	BASSBHARTHARIVILLPHOGAN, , SARADARSHAHAR, PHOGAN, CHURU	07/01/1982	GE, EX	GENM EX	सरथला (बडी सादडी)	चित्तौड़
7	792	BHAGIRATH MAL DHAKA	KANHAIYA LAL DHAKA	NEARTHEPOWERHOUSE, WARDM O-2, VPO-LOSAL, DIST.-SIKAR(RAJASTHAN), LOSAL, DANTA RAMGARH, LOSAL, SIKAR	02/05/1975	BC, EX, NG	OBCM EX	सिंहाड (भीण्डर)	उदयपुर
8	823	RAM NIWAS MEENA	BHAGAWANA RAM MEENA	RAMNIWASMEENAV/PSEWADC HHOTI, SEWAD BARI, DHOD, SEWAD CHHOTI, SIKAR	02/08/1978	ST, EX	STM EX	सोगदी की भागल (खमनोर)	राजसमंद
9	866	MANOJ KUMAR	GIRRAJ PRASAD AGRAWAL	NAGLALODHARROAD, SANJAYNAGAR, BHARATPUR, , , , BHARATPUR	21/05/1979	GE, EX	GENM EX	सांगरीया (डूंगला)	चित्तौड़
10	871	SATYA PAL SINGH	MARA RAM	FLATNO.-505, BLOCK-7, KENDRIYAVIHAR-II, NEARJ EVANREKHA HOSPITAL, VIDHANI, SANGANER, SRIKISHANPURA VILLAGE, JAIPUR	08/07/1974	BC, EX	OBCM EX	आकोला (भीण्डर)	उदयपुर
11	927	MOHANLATA	NARAYAN LAL	PLOT-9BEHIND AMBARTENT HOUSE, NAWALGARHROADSIKAR, , SIKAR, SIKAR, SIKAR	01/04/1982	BC, WE, WD, RG	OBCF WD	भाटोली (बडी सादडी)	चित्तौड़


(भरत मेहता)

संयुक्त निदेशक(स्कूल शिक्षा)
उदयपुर सम्भाग उदयपुर